

09-12-17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.17 में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त नीलेश अनु०। उसकी ओर से व शेष अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री गिर्राज भटेले।

अनुपस्थित आरोपी का हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।

फरियादी एवं आहत देवेन्द्र व योगेन्द्र उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी एवं आहत की ओर से राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री गिर्राज भटेले ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादवि० की धारा 294, 323/34 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामंजस्य शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 बी भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए

6

II-156  
C.J.

# Order Sheet [Contd]

Case No. 229/18 of 2018

श्री श्री गुप्ता

Date of  
Order or  
Proceeding

मासिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of  
Parties or  
Pleaders where  
necessary

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।  
आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।  
प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य

सदस्य

मासिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
श्री श्री गुप्ता